डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. अब्दुल्ला पुत्र श्री सादुल्ला जाति मुसलमान, निवासी कुतकपुर, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली राजस्थान ———मृतक

1/1. हफीजन बेवा अब्दुल्ला		जाति सभी मुसलमान
1/2. मोहम्मद युसुफ	पिसरान	निवासी कुतकपुर
1/3. अनवर खान	अब्दुल्ला	तहसील हिण्डौनसिटी
1/4. अब्दुल कलाम		जिला करौली
1/5. युनुस खान		राजस्थान। ——————— वादीगण

बनाम

1. अमीर पुत्र मुनीर		जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर
2. असरफ	पिसरान	
3. महबूब	मुनेदार	तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. अन्नू		
5. मु0 नूरजहाँ बेवा मुनेदार		
6. मोहम्मद साबिर पुत्र सगीर		

7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राज0 ——————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक, व स्थायी निषेधाज्ञा — **मुकदमा नं0 19/2017**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री अताउल हक नूरी एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन का वादीगण सं0 1/1

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लगायत 1/5 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में वादीगण के कब्जा काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें। रहन बय नहीं करें। स्वयं कब्जा नहीं करें। वादी को पूर्वानुसार शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। जमीन व फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचावे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 19/2017 तारीख रजू:— 14.02.2017

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. अब्दुल्ला पुत्र श्री सादुल्ला जाति मुसलमान, निवासी कुतकपुर, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली राजस्थान ———मृतक

1/1. हफीजन बेवा अब्दुल्ला		जाति सभी मुसलमान
1/2. मोहम्मद युसुफ	पिसरान	निवासी कुतकपुर
1/3. अनवर खान	अब्दुल्ला	तहसील हिण्डौनसिटी
1/4. अब्दुल कलाम		जिला करौली
1/5. युनुस खान		राजस्थान। ——————— वादीगण

बनाम

1. अमीर पुत्र मुनीर		जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर
2. असरफ	पिसरान	
3. महबूब	मुनेदार	तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. अन्नू		
5. मु0 नूरजहाँ बेवा मुनेदार		
6. मोहम्मद साबिर पुत्र सगीर		

7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राज0 ——————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण

2. श्री अताउल हकनूरी एडवोकेट प्रतिवादी सं01ता6

निर्णय दिनांक :— 16.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत इस्ताकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिसका मौजूदा खसरा नम्बर 837 रकबा 39 ऐअर ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि साबिक ख0नं0 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 27.06.1979 को मृतक मुनीर खां पुत्र रहमू की खातेदारी व कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

काश्त की आराजी रही है। जिससे वादी द्वारा खातेदार मुनीर से दिनांक 27.06.1979 को मुवलिग 4000/– रु0 में जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक तहसील हिण्डौन की पुस्तक सं0 1 की जिल्द सं0 57 के क्रमांक 427 के पेज नं0 361–362 पर बहक वादी तकमील तस्दीक करवा दिया। सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा मौके पर वाकई वादी करवा दिया और आराजी विवादग्रस्त पर वादी योम दायरी खरीद से लगातार साल–दरसाल व फसल दर फसल जमीन को काश्त करता चला आ रहा है। लगान सरकारी अदा किया जाता रहा है। कब्जा वादी जमीन पर आज भी बरकरार है। उक्त खरीदशुदा भूमि में वादी ने कृषि विकासार्थ चार गेह पाटोर दुपल्ला रिहायश व पांच गेह पाटोरपोश होटल व टीनशेड बना हुआ है। रिहायश भी हो रही है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि ज़मीन विवादग्रस्त विक्रय करने के बाद मुनीर जो परिवार का कर्ता खानदान थे। उसने जमीनों की खातेदारी में अपने भाई मुनेदार सगीर हिस्सा बराबर का रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। जिससे विक्रय पत्र क़ा अमल दरामद नहीं हो सका। वादी द्वारा उक्त तीनों भाईयों से तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण से जमीन की खातेदारी वादी के नाम करवाने बाबत कहा, तो मुनीर के वारिसान तो तैयार हो गये मगर अन्य प्रतिवादीगण अनसुनी करते रहे। टालते रहे और कहते रहे कि कब्जा तुम्हारा है। जमीन की खातेदारी करवा लो। हम कोई उजर नहीं करेंगे।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि क्षेत्र में जमीनों की कीमतें बढ़ गयी है और जमीन के पास में होकर पुख्ता रोड अब निकल गया है इसलिये जमीन बेशकीमती हो जाने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में लालच हो गया है, और वे येनकेन प्रकारेन जमीन हड़पने पर आमादा है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 03.02.2017 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादी अपने खरीदशुदा खेत पर खडी फसल की रखवाली कर रहा था कि प्रतिवादीगण खेत की बगल में खडे होकर वादी से गाली–गलौच करने लगे। वादी द्वारा जानकारी करना चाही, तो प्रतिवादीगण द्वारा वादी की ममलूका मकबूजा जमीन से बेदखल कर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। वादी द्वारा गाँव के गणमान्य व्यक्तियों को एकत्रित कर प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नही है। इसलिये अगर प्रतिवादीगण अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। इसलिये अपने हकूकों की रक्षार्थ दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 03.02.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा आराजी विवादग्रस्त पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने से वमुकाम कुतकपुर तहसील हिण्डौन इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा निवास फरीकेन व स्थित भूमि विवादग्रस्त की दृष्टि से मुकदमा की सुनवाई व समाअत का अधिकार इस सम्मानीय अदालत को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट की धारा 88 व 188 के तहत पेश किया गया है।

वाद पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि दावा हाजा पर निश्चित न्याय शुल्क अदा की गयी है।

वाद पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि वादी निम्न इस्तदुआ की प्रार्थना करता है :–

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11 (क) में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ़ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी साविक खसरा नं0 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिसका मौजूदा ख0नं0 837 रकबा 39 ऐअर स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। इसलिये समस्त रेवेन्यु रिकॉर्डेड कागजात पटवार से प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाकर वादी के नाम का रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र तारीखी 27.06.1979 के आधार पर अमल दरामद फरमाया जावे लगान सरकारी अलग कायम किया जावे। मिलान क्षेत्रफल दुरूस्त फरमाया जावे।

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11 (ख) में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी ख0नं0 837 रकबा 39 ऐअर स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन के कब्जा काश्त वादी में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें। रहन वय नहीं करें। स्वयं कब्जा नहीं करें। वादी को पूर्वानुसार शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। जमीन व फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचावे । रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाएं रखें।

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11 (ग) में दर्ज किया है कि अन्य कोई दादरसी जो न्यायोचित बहक वादी हो वह भी अता फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.03.2017 को प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की ओर से श्री अताउल हक नूरी एडवाकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 01.09.2021 को प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जबावदावा बन्द करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 19.06.1979 उनवानी मुनीर बल्द श्री रहमू जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन– विक्रेता बहक अबदुल्ला पुत्र श्री सादुल्ला जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन–क्रेता प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 प्रदर्श–4 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी अनवर खान पुत्र अब्दुल्ला ज़ाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन का शपथ पत्र वास्ते बयान पेश किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित । वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं01 ता 6 ने दौराने बहस वादीगण का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमीर पुत्र मुनीर हि0 1/3, असरफ महबूब अन्नू पि0 मुनेदार मु0 नूरजहॉ वेवा मुनेदार हि0 बराबर हि0 1/3, मोहम्मद शाविर पिता सगीर हि0 1/3 जाति मुसलमान सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66 प्रदर्श–2 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 361 से हाल खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 प्रदर्श–4 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी मुनेदार, मुनीर पि0 रहमू मोहम्मद साविर पुत्र सगीर जाति मुसलमान सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1979 उनवानी मुनीर बल्द श्री रहमू जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन– विक्रेता बहक अबदुल्ला पुत्र श्री सादुल्ला जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन– क्रेता प्रदर्श–3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन का बेचान क्रेता के हक में किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर क्रेता को कब्जा संभलाना भी अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुनीर बल्द श्री रहमू जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1979 को उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन में उपस्थित होकर क्रेता अबदुल्ला पुत्र श्री सादुल्ला जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन के हक में किया गया है। जिसके दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं तथा हाल खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नवीन राजस्व रिकार्ड में अमीर पुत्र मुनीर हि0 1/3, असरफ महबूब अन्नू पि0 मुनेदार मु0 नूरजहॉं वेवा मुनेदार हि0 बराबर हि0 1/3, मोहम्मद शाविर पिता सगीर हि0 1/3 जाति मुसलमान सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादीगण मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी अपने हक में कराने के अधिकारी साबित हैं अर्थात वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन के बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बावत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन का वादीगण सं0 1/1 लगायत 1/5 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में वादीगण के कब्जा काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें। रहन वय नहीं करें। स्वयं कब्जा नहीं करें। वादी को पूर्वानुसार शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जमीन व फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचावे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 16/12/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)